

## राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

### तीसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना (नोटिस) दी जाती है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड /संस्था) के सदस्य/शेयरधारक की तीसरी वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य-दृश्य (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 18 जून, 2024 को भारतीय मानक समय को अपराह्न 03:30 बजे को निम्नलिखित उद्देश्य के लिए आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ अपनाने के लिए.

विचारोपरांत उचित पाए जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

**संकल्प किया जाता है** कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है.

2. संस्था के वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति

विचारोपरांत उचित पाए जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

**संकल्प किया जाता है** कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास अधिनियम, 2021 की धारा 26 (1) के प्रावधानों और संबंधित नियमों/विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / वैधानिक लेखा परीक्षक (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों संबंधी दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को जारी पत्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई दिशानिर्देश) द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2023 को जारी पत्र, और कोई अन्य लागू कानून (किसी भी

वैधानिक संशोधन (नों), आशोधन (नों), या पुनः संशोधन (नों) जो यथा समय के लिए लागू है) तथा लेखा समिति और निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 101961W/W-100036) को संस्था के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए और वे तीसरी वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर छठी वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे और वे लेखापरीक्षा पारिश्रमिक, अन्य रिपोर्टों/प्रमाणों के लिए शुल्क, जेब खर्चों और लागू करों पर, जो समय-समय पर निदेशक मंडल या संस्थान के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किए जाए ।

**पुनः संकल्प किया गया** कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, संस्थान के निदेशक मंडल को संस्था की ओर से ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजें निपटाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेक से, इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे और संस्था की ओर से उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं का समाधान कर सकता है जो कि संकल्प के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन भूमिकाओं, जिम्मेदारियों / कार्य के दायरे के निर्धारण तक सीमित नहीं है, वैधानिक लेखा परीक्षक और अन्य अनुमत कार्य, यदि कोई हो, प्रासंगिक, प्रचलित वैधानिक/नियामक प्रावधानों के अनुरूप और बातचीत, अंतिम रूप देना, संशोधन करना, हस्ताक्षर करना, वितरित करना, निष्पादित करना, इस संबंध में किसी भी अनुबंध या दस्तावेजों सहित नियुक्ति की शर्तें, बिना आवश्यकता के संस्था के सदस्यों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, अधिकृत किया जाता है ।

### नोट्स :

1. सूचना के मद No. 2 के संबंध में प्रासंगिक स्पष्टीकरण निम्नलिखित इसके साथ संलग्न है ।
2. कॉरपोरेट मामलों के संबंधित मंत्रालय ('एमसीए') परिपत्रों के अनुपालन में, संस्था की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी ।

चूंकि यह वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से संबंधित एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्य की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है. तदनुसार, सदस्य द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा आगामी वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रतिनिधि फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

3. सदस्य से अनुरोध है कि वह कंपनी सचिव को [company.secretary@nabfid.org](mailto:company.secretary@nabfid.org) पर अपने प्रतिनिधि को आगामी एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाला एक पत्र भेजें।
4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्य की गणना कोरम की गणना के लिए की जाएगी।
5. उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना सदस्य को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है।
6. सदस्य/प्रतिभागियों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के निर्देश नीचे दिए गए हैं:
  - i. सदस्य/प्रतिभागियों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए बैठक की तारीख और समय का एक ईमेल प्राप्त होगा।
  - ii. ईमेल में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बैठक में शामिल होने के लिए एक लिंक होगा. सदस्य / प्रतिभागी उक्त लिंक पर क्लिक कर सकते हैं एवं अपने कम्प्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट/मोबाइल के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं. यह सलाह दी जाती है कि अपने सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन डाउनलोड करें और इसे तैयार रखें।
    - यदि आपके सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन है, तो यह आपको बैठक में शामिल होने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन पर निर्देशित करेगा. इसके बाद, बैठक में शामिल होने के लिए अब शामिल हों (ज्वाइन नाउ) टैब पर क्लिक करें।

- यदि आप अपने सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन को कॉन्फिगर नहीं करना चाहते हैं, तो इसके बजाय वेब पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कृपया वेब पेज पर शामिल हों (ज्वाइन) पर क्लिक करें। इसके बाद, एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा और ज्वाइन नाउ टैब पर क्लिक करना होगा और उसमें प्रतीक्षा करनी होगी, आयोजक स्वीकार करेगा और आपको बैठक में शामिल होने की अनुमति देगा।
- iii. सदस्यों/ प्रतिभागियों से अनुरोध है कि सभी परीक्षण और तार्किक मुद्दों को पूरा करने के लिए कम से कम 15 मिनट पहले बैठक में शामिल हों।
- iv. सदस्य/प्रतिभागी जिन्हें बैठक से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे कंपनी सचिव को [company.secretary@nabfid.org](mailto:company.secretary@nabfid.org) पर लिख सकते हैं।

**बोर्ड की आज्ञानुसार**

**श्री. राजकिरण राय जी.  
प्रबंध निदेशक (एम डी)  
डीआईएन: 07427647**

**दिनांक :** 21 मई, 2024

**स्थान :** मुंबई

**कार्यालय का पता :**

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल- 1503,

जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051

टेलीफोन: 022 41042000

ई-मेल आईडी: [contact@nabfid.org](mailto:contact@nabfid.org)

वेबसाइट: [www.nabfid.org](http://www.nabfid.org)

**व्याख्यात्मक विवरण :**

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 26(1) के अनुसार, संस्थान के खातों का लेखा-जोखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उप-धारा (1) के तहत लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य माना गया है और जिन्हें संस्थान द्वारा शेयरधारकों की आम बैठक में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल द्वारा निश्चित अवधि के लिए और रिज़र्व बैंक द्वारा ही तय किए गए निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाएगा।

नैबिफड के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु दिनांक 09 फरवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से जानकारी मांगी गई थी। आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 24 फरवरी, 2022 के माध्यम से वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया है। वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को आरबीआई (आरबीआई दिशानिर्देश) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थान निरंतर आधार पर पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली फर्मों को अधिकतम तीन वर्षों की निरंतर अवधि के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है।

17 जुलाई, 2023 को आयोजित दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारक ने मेसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 110266W) की दूसरे एजीएम के समापन से लेकर नैबिफड के तीसरे एजीएम के समापन तक नैबिफड के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। मेसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लगातार तीन वर्षों तक संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक रहे हैं, जो आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए अधिकतम कार्यकाल है और तदनुसार वे इस एजीएम के समापन पर वे सेवानिवृत्त होंगे।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, निदेशक मंडल ने 21 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, शेयरधारक के अनुमोदन के अधीन, मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 101961W/W-100036) को तीन साल की अवधि के लिए संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी, और वे तीसरी वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर छठी वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे और वे लेखापरीक्षा पारिश्रमिक, अन्य रिपोर्टों/प्रमाणनों के लिए शुल्क, जेब खर्चों और लागू करों पर, जो समय-समय पर निदेशक मंडल या संस्थान के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किए जाए।

उक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) पैनल की ऑडिट फर्मों की सूची में हैं, जो वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने योग्य हैं, जैसा कि आरबीआई ने 29 अप्रैल, 2024 को अपने ईमेल के माध्यम से प्रदान किया है।

मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल नीचे दिए गए हैं:

“फर्म की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और यह पूरे भारत में शाखाओं के साथ मुंबई में स्थित है। फर्म में ~ 33 साझेदार और 750 से अधिक सीए और अन्य तकनीकी कर्मचारी हैं, जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में व्यापक अनुभव के साथ इस पेशे में हैं। फर्म के साझेदारों ने सेबी, आईसीएआई, लेखा मानक बोर्ड, आईआरडीए, आईआईए और आयकर अधिकारियों सहित नियामकों के साथ मिलकर काम किया है; और बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी, इंडियन मर्चेन्ट्स चैंबर्स और चैंबर ऑफ इनकम टैक्स कंसल्टेंट्स जैसे पेशेवर संगठनों में नेतृत्व के पदों पर रहे हैं। यह फर्म मुख्य रूप से उद्योग भर में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के साथ बैंकिंग और गैर-बैंकिंग, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में वैधानिक लेखा परीक्षक रही है।

वैधानिक लेखा परीक्षक होने के अलावा, फर्म ने लेनदेन सलाहकार, आंतरिक पुनर्गठन, विलय/डीमर्जर, मंदा की बिक्री, बाय-बैक और पूंजी कटौती सलाहकार और कार्यान्वयन, सेबी, एनबीएफसी विनियम, साझेदारी /एलएलपी, बीमा कानून-सलाहकार, अनुपालन और प्रतिनिधित्व, कॉर्पोरेट वित्त - परियोजना मूल्यांकन, वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन वित्तीय मूल्यांकन और उचित जांच-पड़ताल सहित कॉर्पोरेट और संबद्ध कानूनों में सलाह भी दी है। यह फर्म भारतीय रिज़र्व बैंक सहित अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकिंग संस्थानों सहित कई बैंकिंग संस्थानों के साथ वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में जुड़ी हुई है।”

सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने संस्था के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने की इच्छा व्यक्त की है और पुष्टि की है कि उनकी नियुक्ति, यदि की जाती है, तो आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सदस्य से मैसर्स की नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल की सिफारिशों पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है। सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट तीसरी वार्षिक आम बैठक के समापन से छठी वार्षिक आम बैठक के समापन तक संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में लेखापरीक्षा पारिश्रमिक, अन्य रिपोर्ट/प्रमाणन के लिए शुल्क, जेब से खर्च और लागू करों जो समय-समय पर निदेशक मंडल या संस्थान के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, यदि वैधानिक लेखा परीक्षक का नाम अगले दो वर्षों तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) में नहीं है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रेषित किया जा सकता है या यदि वैधानिक लेखा परीक्षक के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है, तो संस्था संस्थान के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में किसी अन्य फर्म की नियुक्ति के लिए शोयरधारक से नए सिरे से अनुमोदन मांग सकता है।

संस्थान का कोई भी निदेशक, उनके रिश्तेदारों सहित, किसी भी तरह से आइटम नंबर 2 के संकल्प से संबंध या हित नहीं रखता है।

निदेशक मंडल इस सूचना के मद क्रमांक 2 पर संकल्प पारित करने की सिफारिश करता है।

संस्था का कोई भी निदेशक, कुंजीय प्रबंधन कार्यकर्ता या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से मद क्रमांक 2 के संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

**बोर्ड की आज्ञानुसार**

**श्री. राजकिरण राय जी.  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 07427647**

**दिनांक :** 21 मई, 2024

**स्थान :** मुंबई

**कार्यालय का पता :**

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल- 1503,  
जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051  
टेलीफोन: 022 41042000  
ई-मेल आईडी: [contact@nabfid.org](mailto:contact@nabfid.org)  
वेबसाइट: [www.nabfid.org](http://www.nabfid.org)